

(+)

3

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2016/निगरानी

नि.प्र. - 2745 - I - 16

1. जगदीश प्रसार पुत्र नारायणदास तिवारी समस्त निवासीगण-सेवड़ा तहसीलदार सेवड़ा जिला दतिया म.प्र.

2. श्री अश्विन कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद

.....आवेदक

बनाम

सपतदेवी पुत्री छक्की लाल यादव निवासी ग्राम-समथरा हाल निवासी- सेवड़ा तहसील सेवड़ा जिला दतिया म.प्र.अनावेदक

श्री. प्रमोद सिंह यादव
द्वारा आज दि. 16/8/16 को
प्रस्तुत

16/8/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री. प्रमोद सिंह यादव
16/8/16

निगरानी अन्तर्गत धारा -50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध ओदश दिनांक 19.07.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 47/बी.-121/2012-13/ से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,


आवेदक की निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

अपील के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि, अनावेदक द्वारा धारा 107(5) म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत त्रुटी सुधार का एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय दतिया के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर अनुरोध किया गया कि अनावेदक के स्वामित्व के खसरा न. 1507 रकवा 1.23 जिसका पुराना नम्बर 1181 से बन्दोवस्त के दौरान 0.05 आरे रकवा कम कर दिया गया है।
2. यहकि, अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र पर कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार सेवड़ा से जांच कराई गई तहसीलदार सेवड़ा द्वारा आवेदन पत्र की जांच राजस्व निरीक्षक वृत्त सेवड़ा से कराते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र दिनांक 05.12.2014 के अनुसार सुधार कार्यवाही हेतु आदेश पत्रिका दिनांक 25.04.2015 से प्रतिवेदन अनुविभागी अधिकारी सेवड़ा को भेजा गया। एवं

16/8

R. 2745-5/16 (दस्तावेज)



5-12-16

आवेदक को. की विवेक-द्वारा
 प्राप्त उपर्युक्त आवेदक को. के विवेक
 पर प्रकाश इसी को. पर 100+ प्रकाश
 में समान विमं मना की जा रही है।
 2/3/16

Bannu
 05/12/16
 जयराज प्रकाश. वा. वा.

R
AST